रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 8—अगस्त 14, 2009 (श्रावण 17, 1931)

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 8—AUGUST 14, 2009 (SRAVANA 17, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 909

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 719

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 71

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 1327

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 2787

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस ..... *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 4191

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 255

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 909

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 719

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... 71

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence..... 1327

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Govemment of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 2787

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..... *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies..... 4191

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 255

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..... *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2009

सं. 2/13/2006-आई.सी.--राष्ट्रपति पूर्ववर्ती समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 अगस्त, 2007 को अधिक्रांत करते हुए एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त उत्तर-पूर्वी राज्य सड़क परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति गठित करते हैं। इस समिति का गठन तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक किया जाता है, इसका संघटन निम्न प्रकार होगा :--

(i)	सचिव, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
(ii)	सचिव, पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग	सदस्य
(iii)	सचिव, पी. डब्ल्यू. डी., असम	सदस्य
(iv)	सचिव, पी. डब्ल्यू. डी., मेघालय	सदस्य
(v)	सचिव, पी. डब्ल्यू. डी., सिक्किम	सदस्य
(vi)	सचिव, पी. डब्ल्यू. डी., मिजोरम	सदस्य
(vii)	प्रधान सचिव, पी. डब्ल्यू. डी., त्रिपुरा	सदस्य
(viii)	सचिव, पी. डब्ल्यू. डी., मणिपुर	सदस्य
(ix)	सचिव, पी. डब्ल्यू. डी., नागालैंड	सदस्य
(x)	सलाहकार (परिवहन), पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग	सदस्य
(xi)	संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	सदस्य
(xii)	संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (पी. एफ. प्रभाग, व्यय विभाग)	सदस्य
(xiii)	सलाहकार (परिवहन), योजना आयोग	सदस्य
(xiv)	संयुक्त सचिव (अवसंरचना), वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)	सदस्य
(xv)	संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	सदस्य
(xvi)	संयुक्त सचिव, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय	सदस्य
(xvii)	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य
(xviii)	संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य
(xix)	संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय	सदस्य
(xx)	संयुक्त सचिव, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	सदस्य
(xxi)	निदेशक (आई.सी.), उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	सदस्य सचिव
(xxii)	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य	

बिमल कुमार
अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2009

आदेश

विषय :--अवसंरचना वित्त पर स्थायी समिति

सं.10/6/2009-इंफ्रा--वित्त मंत्री के अनुमोदन से वित्त मंत्रालय में अवसंरचना वित्त पर स्थायी समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :--

1.	वित्त सचिव/सचिव, आर्थिक कार्य विभाग	- अध्यक्ष
2.	सचिव, योजना आयोग	- सदस्य
3.	उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक	- सदस्य
4.	अध्यक्ष, आईआरडीए	- सदस्य
5.	अपर सचिव (आर्थिक कार्य)	- सदस्य
6.	अपर सचिव (वित्तीय सेवाएं)	- सदस्य
7.	संयुक्त सचिव (अवसंरचना एवं निवेश) आर्थिक कार्य विभाग	- सदस्य
8.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआईएफसीएल	- सदस्य
9.	श्री आर.एस. शर्मा, सीएमडी, एनटीपीसी	-सदस्य (आवर्तन आधार पर)
10.	श्री ए.एम. नायक, सीएमडी, लार्सन एंड टुब्रो	-सदस्य (आवर्तन आधार पर)
11.	श्री ओ.पी. भट्ट, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक	-सदस्य (आवर्तन आधार पर)
12.	डा0 राजीव लाल, एमडी एंड सीईओ, आईडीएफसी	-सदस्य (आवर्तन आधार पर)

2. क्रम संख्या 9 से 12 पर दर्शाए गए सदस्यों की नियुक्ति आवर्तन आधार पर की जाएगी और एक समय में एक वर्ष के लिए अवसंरचना विकासकर्ताओं और बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में से दो-दो सदस्य होंगे। तदनुसार, क्रम संख्या 9 से 12 तक के सदस्य इस आदेश की तारीख से एक वर्ष के लिए सदस्यता ग्रहण करेंगे।

3. स्थायी समिति यदि उपयुक्त समझे तो अपनी बैंकों के लिए अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकती है या अन्य व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकती है। समिति प्रत्येक तीन महीने में एक बार अथवा आवश्यकता पड़ने पर इससे अधिक बैठकें करेगी।

4. स्थायी समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :
   (क) अवसंरचना वित्तपोषण पर सिफारिशों का निरीक्षण करना; और
   (ख) वित्त मंत्री के बजट भाषण 2009-10 के पैरा 20 में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए समन्वयनकारी तंत्र के रूप में कार्य करना।

5. आर्थिक कार्य विभाग में निदेशक (अवसंरचना वित्त) उक्त समिति को सचिवालयीय सेवा मुहैया कराएंगे।

गोविन्द मोहन
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2009

सं. एफ-9-53/2005-यू.3--जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत् किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को ''सम-विश्वविद्यालय'' घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि श्री बालाज़ी विद्यापीठ, पुदुचेरी से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत 'नई श्रेणी' संस्थाओं के रूप में 'समविश्वविद्यालय' का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें निम्नलिखित संस्थाएं शामिल हैं :-

(i) महात्मा गाँधी चिकित्सा कालेज एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी;
(ii) कस्तूरबा गाँधी नर्सिंग कालेज, पुदुचेरी;
(iii) इंदिरा गाँधी दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पुदुचेरी; और
(iv) भरथियार इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी कालेज, कराईकल, पुदुचेरी;

3. इसलिए अब, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर श्री बालाजी विद्यापीठ को समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यह मंत्रालय बालाजी विद्यापीठ, पुदुचेरी को जिसमें महात्मा गाँधी चिकित्सा कालेज एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी शामिल है, को उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ 'नई श्रेणी' वर्ग के तहत दिनांक 4 अगस्त, 2008 के इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना के तहत पाँच वर्षो की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर एक 'समविश्वविद्यालय' संस्था घोषित करता है, परंतु यह प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा के विषयाधीन होगा;

4. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बाद की सलाह पर कुछ शर्तों के विषयाधीन इस मंत्रालय की दिनांक 20 फरवरी, 2009 की अधिसूचना सं. एफ 10-22/2008-यू.3(ए) के तहत 'श्री सत्य साईं चिकित्सा कालेज एवं अनुसंधान संस्थान' नेलीकुप्पम गांव, चेगंलपत्तु तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु को श्री बालाजी विद्यापीठ (समविश्वविद्यालय) पुदुचेरी के परिधि क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है;

5. और जबकि, श्री बालाजी विद्यापीठ ने अगस्त, 2008 में (i) कस्तूरबा गाँधी नर्सिंग कालेज, पुदुचेरी, (ii) इंदिरा गाँधी दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पुदुचेरी और (iii) भरथियार इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी कालेज, कराईकल, पुदुचेरी को अपने परिधि क्षेत्र में शामिल करने के लिए प्रस्ताव किया। उक्त प्रस्ताव को भी उचित परीक्षण एवं सिफारिश हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा गया;

6. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपर्युक्त पैरा 5 में वर्णित प्रस्ताव पर विचार करने के बाँद इस मंत्रालय को (i) कस्तूरबा गाँधी नर्सिंग कालेज और (ii)

इंदिरा गाँधी दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान को श्री बालाजी विद्यापीठ (समविश्वविद्यालय संस्थान) के परिधि क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भरथियार इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी कालेज, कराईकल को विद्यापीठ के परिधि क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है, अपितु यह सलाह दी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, जिन्होंने अक्तूबर, 2007 के दौरान उक्त कालेज का भौतिक निरीक्षण किया था, की विशेषज्ञ समितियों द्वारा बताई गई कमियों को ठीक करने के बाद 'समविश्वविद्यालय' संस्थान एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है;

7. इसलिए अब, केन्द्र सरकार उपर्युक्त पैरा 6 में वर्णित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बालाजी विद्यापीठ, जिसे उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ पाँच वर्षों की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर 'नई श्रेणी' वर्ग के तहत समविश्वविद्यालय घोषित किया गया था, उसमें 'महात्मा गाँधी चिकित्सा कालेज एवं अनुसंधान संस्थान', पुदुचेरी और नेलीकुप्पम गांव, चेगलपत्तु तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में स्थित 'श्री सत्य साई चिकित्सा कालेज एवं अनुसंधान संस्थान' के अतिरिक्त (i) कस्तूरबा गाँधी नर्सिंग कालेज, पिल्लयारकुप्पम, पुदुचेरी और (ii) इंदिरा गाँधी दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पिल्लयारकुप्पम, पुदुचेरी के नाम से दो अन्य संस्थाओं को भी इनके संबंधन विश्वविद्यालय अर्थात पांडिचेरी विश्वविद्यालय से असम्बद्धता की दिनांक से इन दो कालेजों को निम्नलिखित शर्तों के विषयाधीन इसकी घटक शिक्षण इकाईयों के रूप में इसके परिधि क्षेत्र में शामिल किया जाता है :–

(i) इस मंत्रालय की दिनांक 4 अगस्त 2008 की समसंख्यक अधिसूचना और दिनांक 20 फरवरी 2009 की अधिसूचना सं. एफ 10-22/2008-यू-3(ए) में निर्धारित सभी शर्तें जो श्री बाला जी विद्यापीठ, पुदुचेरी को प्रदत्त 'समविश्वविद्यालय' के दर्जा को अभिशासित करती है, लागू रहेगी और जहां कही भी संगत होगा कस्तूरबा गांधी नर्सिंग कॉलेज, पुदुचेरी और इंदिरा गांधी दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पुदुचेरी पर लागू रहेगी।

(ii) कस्तूरबा गांधी नर्सिंग कॉलेज, पुदुचेरी और इंदिरा गांधी दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली वार्षिक समीक्षाएं और आयोग की सिफारिशें, पांच वर्षों के बाद श्री बाला जी विद्यापीठ, पुदुचेरी को प्रदत्त 'सम विश्वविद्यालय' के दर्जा की पुष्टि के लिए आधार तैयार करेगी।

(iii) उपर्युक्त की गई घोषणा उन शैक्षिक पाठ्यक्रमों को शामिल करेगी जो पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के संबंधन के अन्तर्गत इस समय (1) कस्तूरबा गांधी नर्सिंग कॉलेज, पुदुचेरी और इंदिरा गांधी दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान और उन पाठ्यक्रमों को जिसे 'समविश्वविद्यालय संस्था' संबंधित प्रासंगिक सांविधिक परिषदों (जैसे भारतीय नर्सिंग परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद इत्यादि) के मानदंडों के अनुसार उपर्युक्त नर्सिंग कॉलेज और दंत कॉलेज भविष्य में प्रारम्भ कर सकते है।

(iv) 'समविश्वविद्यालय संस्था' के रूप में श्री बाला जी विद्यापीठ अगले शैक्षिक वर्ष अर्थात 2009-10 से लागू अपने नामांकन के अन्तर्गत कस्तूरबा गांधी नर्सिंग कॉलेज, पुदुचेरी और इंदिरा गांधी दंत चिकित्सा चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पुदुचेरी के अनुमोदित शैक्षिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में छात्रों का दाखिला करेगें।

(v) 'सम विश्वविद्यालय संस्था के रूप में' श्री बालाजी विद्यापीठ, कस्तूरबा गांधी नर्सिंग कॉलेज, पुदुचेरी और इंदिरा गांधी दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पुदुचेरी के

शैक्षिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के संबंध में केवल उन छात्रो को डिग्री प्रदान करेगा जो शैक्षिक वर्ष 2009-2010 से इस संस्थान में दाखिल किए जाएगें।

(vi) जहां तक कस्तूरबा गांधी नर्सिंग कॉलेज, पुदुचेरी और इंदिरा गांधी दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पुदुचेरी में पहले से दाखिल छात्रों का संबंध है वे अपने अकादमिक पाठ्क्रमों/अध्ययन पाठ्यक्रमों को पांडिचेरी विश्वविद्यालय के नामांकन और संबंधन के तहत जारी रखेगें और यह विश्वविद्यालय उनकी परीक्षाएं आयोजित करेगा तथा इस समय उपर्युक्त नर्सिंग कॉलेज और दंत चिकित्सा विज्ञान में जारी पाठ्क्रमों/ अध्ययन कार्यक्रमों के सफलता पूर्वक पूरा करने पर डिग्रियां प्रदान करेगा।

(vii) उपर्युक्त पैरा 7 (vi) में निर्धारित शर्त शैक्षिक 2006-07 के बाद और इस अधिसूचना के तारीख से पूर्व (अर्थात शैक्षिक वर्ष 2007-08 और 2008-09 के छात्रों को) कस्तूरबा गांधी नर्सिंग कॉलेज, और इंदिरा गांधी दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान में पहले से दाखिल छात्रों पर लागू होगी। तद्नुसार इस समय उपर्युक्त नर्सिंग कॉलेज और दंत विज्ञान में पढ़ रहे छात्रों को पाठ्क्रमों के सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद पांडिचेरी विश्वविद्यालय द्वारा डिग्रियां प्रदान की जाएगी।

8. उपर्युक्त पैरा 7 में की गई घोषणा, इस अधिसूचना के पृष्ठांकन के क्रम सं. 9 में उल्लिखित अतिरिक्त शर्तो के पूरा होने/अनुपालन के विषयाधीन होगी।

9. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्री बालाजी विद्यापीठ या इसकी किसी घटक इकाई (बाह्य परिसर इकाईयों सहित) को कोई योजनागत या योजनेत्तर सहायता अनुदान प्रदान करेगा।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 जुलाई 2009

सं. एफ-27-39-99-पुस्तकालय--इस मंत्रालय की दिनांक 26.12.2008 की सम संख्यांक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्र सरकार राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता के नियमों एवं विनियमों के नियम 3 (i) और (iii) के तहत श्रीमती अंबिका सोनी के स्थान पर श्री जवाहर सरकार को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से उक्त प्रतिष्ठान का अध्यक्ष मनोनीत करती है।

लव वर्मा
संयुक्त सचिव

रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2009

संकल्प

सं. ईआरबी-I/2009/23/21--रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में उपलब्ध कराई गई यात्री सुविधाओं की जांच करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यात्री सुविधा समिति का पुनर्गठन करने का विनिश्चय किया है जिसके अध्यक्ष श्री शुवाप्रसन्ना, "नतुन बारी", बी. एच.-167, साल्ट लेक, सेक्टर-II, कोलकाता-700091, होंगे।

2. इस समिति अन्य सदस्य नीचे दिए गए अनुसार होंगे:-

(i) श्री राधिका रंजन प्रमाणिक, एए 90, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता- 700 064.
(ii) डॉ. एन. बरकती, 185, लेनिन सारनी, कोलकाता-700013.
(iii) डॉ. पल्लब किरतानिया, बंगाल अबुंजा कॉम्पलेक्स, उदयन, 1050/1 सर्व पार्क, फ्लैट नं. यूबी-20-02सी, कोलकाता-700075 (पश्चिम बंगाल).
(iv) दीवान सैयद जैनुअल अबेदिन अली खाँ, हवेली दीवान साहब दरगाह शर्राफ़, अजमेर (राजस्थान).
(v) श्री रछपाल सिंह, आईपीएस (सेवानिवृत्त), एफ-ई, 484, सेक्टर-3 साल्ट लेक सिटी, कोलकाता- 700 091.

3. समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में उपलब्ध कराई गई निम्नलिखित यात्री सुविधाओं की जांच करना:-

(i) सामान्य स्वच्छता और वातावरण संबंधी दशा।
(ii) पीने के पानी की व्यवस्थाएं।
(iii) यात्रियों को सूचना देने हेतु उपलब्ध कराई गई सुविधाएं जैसे पूछताछ कार्यालय, जन उद्घोषणा प्रणाली, प्रदर्शन बोर्ड, आदि।
(iv) लाइटों, पंखों और बिजली की अन्य सुविधाओं की व्यवस्था।

(v) जन सुविधाओं जैसे जन शौचालयों, स्नानागारों, विश्राम कक्षों और प्रतीक्षालयों की व्यवस्था और अनुरक्षण।

(vi) प्लेटफार्मों पर बेंचों, व्हील चेयरों, स्ट्रेचर, सामान की ट्रॉलियों आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था।

(vii) कैरिजों और स्टेशन परिसरों में आरक्षण और बुकिंग।

(viii) कैरिजों और स्टेशन परिसरों में यात्रियों की सुरक्षा।

(ix) अप्राधिकृत यात्रा के कारण रेल राजस्व का रिसाव और,

(x) यात्रियों के प्रति शिष्टाचार का व्यवहार सुनिश्चित करना।

4. समिति का कार्यकाल, इसके गठन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक होगा।

5. यातायात वाणिज्य निदेशालय, रेलवे बोर्ड समिति के साथ संपर्क बनाए रखने और इसकी विभिन्न सिफारिशों का समय पर कार्यान्वयन करने के लिए नोडल निदेशालय होगा।

6. निदेशक, यातायात वाणिज्य (सामान्य)-II, रेलवे बोर्ड इस समिति के सचिव होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के. बी. एल. मित्तल
सचिव, रेलवे बोर्ड

संकल्प

सं. ईआरबी-I/2009/23/22--रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने खानपान/वेंडिंग स्टॉलों/बुक स्टॉलों/पर्यटन सूचना केन्द्रों आदि के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए यात्री सेवा समिति का पुनर्गठन करने का विनिश्चय किया है।

2. समिति श्री डेरेक ओ'ब्रेन, 158, प्रिंस अनवर शाह रोड, कोलकाता-700 019 की अध्यक्षता में कार्य करेगी।

3. समिति के अन्य सदस्य नीचे दिए गए अनुसार होंगे:-

(i) श्री ब्रत्याब्राता बासू, पी-65, कालिंदी हाउसिंग स्कीम, कोलकाता-700 089.

(ii) श्री अबु अयेस मंडल, भूतपूर्व संसद सदस्य, गांव-अकबर नगर, पो.ओ.-कुलुत, पी.एस. मंतेश्वर, जिला-वर्दमान।

(iii) श्री सुल्तान सिंह, आई पी एस (सेवानिवृत्त), 487, एफ.ई. ब्लॉक, सेक्टर III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700106

(iv) सुश्री अर्पिता घोष, 65/21, ज्योतिष रॉय रोड, कोलकाता-700 053.

(v) श्री पीरज़ादा तोहा सिद्दीकी, गांव-फुरफुरा दरबार सरीफ़, पी.ओ.-फुरफुर सरीफ़, जिला-हुगली, पिन-712 706, पश्चिम बंगाल।

(vi) श्री सरदार अमजद अली, भूतपूर्व संसद सदस्य, 59बी, पाल्म एवेन्यू, फ्लैट नं. 04, पहला तल, कोलकाता- 700 019.

4. कार्यपालक निदेशक (पर्यटन एवं खानपान), रेलवे बोर्ड समिति के सचिव होंगे।

5. समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

(क) खानपान/वेंडिंग स्टॉलों/ट्रॉलियों और अन्य सभी स्टॉलों जैसे बुक स्टॉलों और अन्य विविध स्टॉलों, पीसीओ/आईएसडी/एसटीडी बूथों के आकार, डिजाइन और स्थल की पुनरीक्षा करना और डिजाइन, आकार तथा स्थल के मानकीकरण के लिए उपायों की सिफारिश करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे न केवल स्टेशन के सौंदर्यीकरण के अनुरूप हों बल्कि न्यूनतम स्थान घेरें और यात्रियों के चलने-फिरने में बाधा उत्पन्न न करें। वे इस प्रकार की सेवाओं के बढ़ने और उनके अव्यवस्थित तरीके से स्थापित होने के कारण महत्वपूर्ण स्टेशनों और प्लेटफार्मों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए उपायों की विशिष्ट रूप से सिफारिश करेंगे।

...2/-

(ख) समिति स्टेशनों पर और गाड़ियों में अप्राधिकृत/फैरी वालों/वेंडिंग की समस्याओं का अध्ययन करेगी, अति संवेदनशील स्थलों, सेक्शनों और गाड़ियों की पहचान करेगी और इस समस्या को दूर करने हेतु ठोस उपायों की सिफारिश करेगी।

(ग) समिति उन वस्तुओं की भी पुनरीक्षा करेगी जिन्हें इस समय इन विभिन्न स्टॉलों पर बेचे जाने की अनुमति है और उनका मानकीकरण सुझायेगी। वे ऐसी वस्तुओं की सिफारिश करेगी जो स्वास्थ्य और स्वच्छता पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले और किसी भी तरह से जनता की पसंद और संवेदनशीलता को ठेस पहुंचाए जनता को बेचे जाने हेतु शामिल की जाएंगी।

(घ) समिति परिवहन के अन्य साधनों, शहर के नक्शों आदि की उपलब्धता के संबंध में यात्रा कर रही जनता के मार्गनिर्देश के लिए पर्यटक सूचना बूथों और कीऑस्कों की स्थापना की आवश्यकता की जांच और सिफारिश करेगी।

(ङ.) समिति क्षेत्रीय और प्रादेशिक आवश्यकताओं पर आधारित पुस्तकों और प्रकाशनों की बिक्री और साथ ही राष्ट्रीय अखंडता, सामाजिक न्याय, साम्प्रदायिक सामंजस्य, ग्रामीण विकास आदि विषयों वाले साहित्य की बिक्री के संबंध में जांच और सिफारिश करेगी। समिति गाड़ियों में, रेलवे स्टेशनों पर बजाए जाने वाले संगीत और साथ ही स्टेशनों आदि पर दृश्य माध्यम जैसे क्लोज्ड सर्किट टेलीविजनों (सीसीटीवी) के जरिए दिए जाने वाले संदेशों की भी जांच करेगी।

6. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक होगा।

7. पर्यटन एवं खानपान निदेशालय समिति के साथ संपर्क बनाए रखने और इसकी सिफारिशों का समय पर कार्यान्वयन करने के लिए नोडल निदेशालय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के.बी.एल. मित्तल
सचिव, रेलवे बोर्ड।

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi, the 14th July 2009

No. 2/13/2006-IC. In supersession of our earlier notification of even number dated 9th August 2007, the President of India is pleased to constitute the National Level Steering Committee for implementation of 'North Eastern State Roads Project (NESRP)' assisted by the Asian Development Bank. The Committee is constituted with immediate effect and until further orders with the following composition: -

(i)	Secretary, MDONER	Chairperson
(ii)	Secretary, NEC Sectt. Shillong	Member
(iii)	Secretary, PWD, Assam	Member
(iv)	Secretary, PWD, Meghalaya	Member
(v)	Secretary, PWD, Sikkim	Member
(vi)	Secretary, PWD, Mizoram	Member
(vii)	Pr. Secretary, PWD, Tripura	Member
(viii)	Secretary, PWD, Manipur	Member
(ix)	Secretary, PWD, Nagaland	Member
(x)	Adviser (Transport), NEC Sectt. Shillong	Member
(xi)	Joint Secretary & Financial Adviser MDONER	Member
(xii)	Joint Secretary, Ministry of Finance (PF Division, Department of Expenditure)	Member
(xiii)	Adviser (Transport), Planning Commission	Member
(xiv)	Joint Secretary (Infrastructure), Ministry of Finance (Department of Economic Affairs)	Member
(xv)	Joint Secretary, Ministry of Road Transport and Highways	Member
(xvi)	Joint Secretary, Ministry of Environment and Forests	Member
(xvii)	Joint Secretary, Ministry of Home Affairs	Member
(xviii)	Joint Secretary, Ministry of Urban Development	Member
(xix)	Joint Secretary, Ministry of External Affairs	Member
(xx)	Joint Secretary, MDONER	Member
(xxi)	Director (IC), MDONER	Member Secretary
(xxii)	Any other Member as nominated by the MDONER	

BIMAL KUMAR
Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 27th July 2009

ORDER

Sub. :—Standing Committee on Infrastructure Finance

No. 10/6/2009-Inf.—It has been decided, with the approval of the Finance Minister (FM), to set up a Standing Committee on Infrastructure Finance in the Ministry of Finance consisting of the following :—

1.	Finance Secretary/Secretary, Department of Economic Affairs	- Chairman
2.	Secretary, Planning Commission	- Member
3.	Deputy Governor, RBI	- Member
4.	Chairman, IRDA	- Member
5.	Additional Secretary (Economic Affairs)	- Member
6.	Additional Secretary (Financial Services)	- Member
7.	Joint Secretary (Infrastructure & Investments), Department of Economic Affairs	- Member
8.	Chairman & Managing Director, IIFCL	- Member
9.	Shri R.S. Sharma, CMD, NTPC	- Member (on rotation basis)
10.	Shri A.M. Naik, CMD, Larsen & Toubro	- Member (on rotation basis)
11.	Shri O.P. Bhatt, Chairman, SBI	- Member (on rotation basis)
12.	Dr. Rajiv Lall, MD & CEO, IDFC	- Member (on rotation basis)

2. The Members at S.Nos. 9 to 12 shall be appointed on rotation basis with two each from among infrastructure developers and banks/financial institutions, for one year at a time. Accordingly, the Members at S.Nos. 9 to 12 shall hold membership for one year from the date of this Order.

3. The Standing Committee may co-opt other Members or invite any other person for its meetings as it may deem appropriate. The Committee shall meet once every 3 months or as often as necessary.

4. The Terms of Reference of the Standing Committee would be as under:

(a) to oversee recommendations on Infrastructure Financing; and

(b) to act as the coordinating mechanism for implementation of the announcement in Para 20 of FM's Budget 2009-10 Speech.

5. The Director (Infrastructure Finance) in the Department of Economic Affairs shall provide Secretariat to the said Committee.

GOVIND MOHAN
Joint Secretary

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 20th July 2009

No. F-9-53/2005-U.3—Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of Higher Learning as a "Deemed-to-be-University."

2. And whereas, a proposal was received from Sri Balaji Vidyapeeth, Puducherry seeking status of 'deemed-to-be-university', as a '*De Novo*' Institution, under Section 3 of the UGC Act, 1956, comprising the following institutions:

(i) Mahatma Gandhi Medical College & Research Institute, Puducherry,
(ii) Kasturba Gandhi Nursing College, Puducherry
(iii) Indira Gandhi Institute of Dental Sciences, Puducherry, and
(iv) Bharathiyar College of Engineering & Technology, Karaikal, Puducherry;

3. And whereas, on the advice of the University Grants Commission (UGC) in the matter of conferment of status of 'deemed-to-be-university' to Sri Balaji Vidyapeeth under Section 3 of the UGC Act, 1956, this Ministry had declared Sri Balaji Vidyapeeth, Puducherry, comprising Mahatma Gandhi Medical College & Research Institute, Puducherry, as an 'Institution Deemed-to-be-University', under De Novo category, for the purposes of the aforesaid act, provisionally for a period of five years, vide this Ministry's notification of even number dated the 4th August, 2008, subject to a review at the end of each year;

4. And whereas, on a subsequent advice of the UGC, 'Sri Sathya Sai Medical College and Research Institute' located at Nellikuppam Village in Chengalpattu Taluk, Kancheepuram District, Tamil Nadu, had been brought under the ambit of Sri Balaji Vidyapeeth (Institution Deemed-to-be-University), Puducherry, vide this Ministry's notification No.F.10-22/2008-U.3(A) dated 20th February, 2009, subject to certain conditions;

5. And whereas, Sri Balaji Vidyapeeth had represented to this Ministry in August, 2008 for including (i) Kasturba Gandhi Nursing College, Puducherry, (ii) Indira Gandhi Institute of Dental

Sciences, Puducherry and (iii) Bharathiyar College of Engineering & Technology, Karaikal, Puducherry, under its ambit. The said representation was also sent to the UGC for appropriate examination and recommendation;

6. And whereas, the UGC, upon consideration of the representation referred to in Para 5 above, has recommended to this Ministry to include (i) Kasturba Gandhi Nursing College and (ii) Indira Gandhi Institute of Dental Sciences under the ambit of Sri Balaji Vidyapeeth (Institution Deemed-to-be-University). The UGC has not recommended inclusion of Bharathiyar College of Engineering & Technology, Karaikal, under the ambit of the Vidyapeeth, but has instead advised that the 'Institution Deemed-to-be-University' may submit a revised proposal after rectifying the deficiencies pointed out by the Expert Committees of both the UGC and the All India Council for Technical Education, New Delhi, which physically inspected the said colleges during October, 2007;

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC referred to in Para 6 above, hereby declare that Sri Balaji Vidyapeeth, Puducherry, which was declared as an 'Institution Deemed-to-be-University', under De Novo category, for the purposes of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years, shall comprise in addition to 'Mahatma Gandhi Medical College & Research Institute, Puducherry' and 'Sri Sathya Sai Medical College and Research Institute' located at Nellikuppam Village in Chengalpattu Taluk, Kancheepuram District, Tamil Nadu, two more institutions, namely, (i) Kasturba Gandhi Nursing College, Pillaiyarkuppam, Puducherry and (ii) Indira Gandhi Institute of Dental Sciences, Pillaiyarkuppam, Puducherry, as constituent teaching units, under its ambit, with effect from the date of disaffiliation of these two colleges from their affiliating university, viz., Pondicherry University, subject to the following conditions:

(i) All the conditions stipulated in this Ministry's notification of even number dated the 4th August, 2008 and those stipulated in notification No.F.10-22/2008-U.3(A) dated 20th February, 2009 that govern the status of 'deemed-to-be-university' conferred on Sri Balaji Vidyapeeth, Puducherry, shall continue to be in force, and shall also be applicable to Kasturba Gandhi Nursing College, Puducherry and Indira Gandhi Institute of Dental Sciences, Puducherry, wherever relevant;

(ii) The annual reviews to be conducted by the UGC at Kasturba Gandhi Nursing College, Puducherry and Indira Gandhi Institute of Dental Sciences, Puducherry and recommendations of the Commission thereof, shall also form the basis for confirmation of the status of 'deemed-to-be-university' conferred on Sri Balaji Vidyapeeth, Puducherry, after five years;

(iii) The declaration as made above shall cover those academic courses that are conducted presently by (i) Kasturba Gandhi Nursing College, Puducherry and Indira Gandhi Institute of Dental Sciences, Puducherry, under affiliation to the Pondicherry University, Puducherry, and those courses that the 'Institution Deemed-to-be-University' concerned may start in future at the said Nursing College and the Dental

College as per the norms of the relevant Statutory Council(s) concerned (such as the Indian Council of Nursing, Dental Council of India, etc.);

(iv) Sri Balaji Vidyapeeth, as an 'Institution Deemed-to-be-University', shall admit students to the approved academic courses/programmes of Kasturba Gandhi Nursing College, Puducherry and Indira Gandhi Institute of Dental Sciences, Puducherry, under its enrolment, only with effect from the next academic year, i.e. 2009-2010;

(v) Sri Balaji Vidyapeeth, as an 'Institution Deemed-to-be-University, shall, accordingly, award degrees in respect of the academic courses / programmes of Kasturba Gandhi Nursing College, Puducherry and Indira Gandhi Institute of Dental Sciences, Puducherry, only to those students who shall be admitted to this Institute from the academic year 2009-2010 onwards;

(vi) As for the students who were already admitted to Kasturba Gandhi Nursing College, Puducherry, and Indira Gandhi Institute of Dental Sciences, Puducherry, they shall continue to pursue their academic courses/ programmes of study under the enrolment and affiliation to Pondicherry University, which shall conduct examinations to them and award degrees to their respective enrolled students upon successful completion of the courses/ programmes of study they are pursuing at the said Nursing College and the Dental College presently.

(vii) The condition stipulated as at sub Para 7(vi) above shall also cover those students who were already admitted to the Kasturba Gandhi Nursing College and Indira Gandhi Institute of Dental Sciences subsequent to the academic session 2006-2007 and prior to the date of this notification (*i.e. batches of students belonging to the academic years 2007-2008 and 2008-2009*). These students shall accordingly be awarded degrees only by the Pondicherry University upon successful completion of the courses they are pursuing at the said Nursing College and the Dental College presently.

8. The declaration as made in Para 7 above is also subject to fulfillment / compliance of further conditions mentioned at Sr. No.9 of the endorsement to this Notification;

9. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan or Non-Plan grant-in-aid to Sri Balaji Vidyapeeth or any of its constituent units (including off-campus units).

SUNIL KUMAR
Joint Secretary

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi-110001, the 10th July 2009

No. F. 27-39/99-Lib.—In partial modification of this Ministry's Notification of even number dated 26th December, 2008 under rules 3(i) & (iii) of the Rules and Regulations of the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Kolkata, the Central Government hereby nominates Shri Jawhar Sircar, Secretary (Culture) as Chairman of the Foundation in place of Smt. Ambika Soni with immediate effect.

LOV VERMA
Joint Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 16th July 2009

No. ERB-I/2009/23/21—The Ministry of Railways (Railway Board) have decided to reconstitute Passenger Amenities Committee at the national level to check the passenger amenities provided at railway stations and on trains under the Chairmanship of Shri Shuvaprasanna, "Natun Bari", B.H.-167, Saltlake, Sector-II, Kolkata-700091.

2. The other members of the Committee will be as under :-

(i) Shri Radhika Ranjan Pramanik, AA90, Salt Lake City, Kolkata-700064.
(ii) Dr. N. Barkati, 185, Lenin Sarani, Kolkata-700013.
(iii) Dr. Pallab Kirtania, Bengal Ambuja Complex, Udayan, 1050/1 Survey Park, Flat No. UV 20-02C, Kolkata-700075, West Bengal.
(iv) Dewan Syed Zainual Abedin Ali Khan , Haveli Dewan Sahab Dargah Sahreef Ajmer, Rajasthan.
(v) Shri Rachhpal Singh, I.P.S (retd), FE-484, Sector-3, Salt Lake City, Kolkata-700091.

3. The Terms of reference of the Committee are as under:-

To check the Passenger Amenities at Railway Stations and on Trains specified as under:-

(i) General cleanliness and environmental condition.

(ii) Drinking water arrangements.

(iii) Facilities provided for dissemination of information to the passengers, like enquiry offices, public address system, indicator boards etc.

(iv) Provision of lights, fans and other electrical amenities.

(v) Provision and maintenance of public conveniences like public lavatories, bathrooms, retiring rooms and waiting halls.

Contd..2/-

(vi) Provision of such conveniences as benches on platforms, wheel chairs, stretchers, luggage trolleys, etc.

(vii) Reservation and booking in carriages and at station premises.

(viii) Security of passengers in carriages and at station premises.

(ix) Leakage of Railway Revenues due to unauthorized travel and

(x) Ensuring courtesy to passengers.

4. The tenure of the Committee will be for a period of two years from the date of its constitution or till further orders, whichever is earlier.

5. The Traffic Commercial Directorate, Railway Board will be the nodal Directorate interacting with the Committee and processing its various recommendations for timely implementation.

6. Director Traffic/Commercial(G)-II, Railway Board will be the Secretary of the Committee.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K.B.L. MITTAL
Secretary, Railway Board

RESOLUTION

No. ERB-I/2009/23/22—The Ministry of Railways (Railway Board) have decided to reconstitute Passenger Services Committee to look into the various aspects of catering/vending stalls/Book Stalls/tourist information centers etc.

2. The Committee will function under the Chairmanship of Shri Derek O'Brien, 158, Prince Anwar Shah Road, Kolkata-700029.

3. The other members of the Committee will be as under:-

(i) Shri Bratyabrata Basu, P-65, Kalindi Housing Scheme, Kolkata 700089,

(ii) Shri Abu Ayes Mondal, Ex-MP, Vill- Akbar Nagar, P.O.- Kulut, P.S. Manteswar, Dist. Burdwan,

(iii) Shri Sultan Singh, IPS(Retd.), 487, FE Block, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106.

(iv) Ms. Arpita Ghosh, 65/21, Jyotish Roy Road, Kolkata – 700053,

(v) Shri Peerzada Toha Siddique, Vill- Furfura Darbar Sarif, P.O. – Furfur Sarif, Dist- Hooghly, Pin- 712 706, West Bengal,

(vi) Shri Sardar Amjad Ali, Ex-MP, 59B, Palm Avenue, Flat No.4, 1st floor, Kolkata-700019.

4. Executive Director(Tourism & Catering), Railway Board will be the Secretary of the Committee.

5. The Terms of reference of the Committee are as under:-

a) To review the size, design and location of catering/vending stalls/trolleys and all other stalls like book stalls and other miscellaneous stalls, PCO/ISD/STD booths and recommend measures for standardization of the design, size as well as the location so as to ensure that they not only match with the aesthetics of the station, but also take up minimum space and do not create hindrance to movement and circulation of passengers. They would specifically recommend steps to reduce congestion at important stations and platforms caused due to proliferation of such services and their installation in a haphazard manner.

b) The committee would study the problems of unauthorized hawking/vending at stations and in trains, identify vulnerable locations, sections and trains, and recommend concrete measures to eliminate this menace.

Contd...2/-

c) The Committee would also review the items, which are presently permitted to be sold at these various stalls and suggest their standardization. They would recommend items, which would be included for sale to public without any risk to health and hygiene and in no way offend public taste and sensitivity.

d) The Committee would examine and recommend on the requirement for setting up of tourist information booths as well as kiosks for guiding traveling public regarding availability of other modes of transport, city maps etc.

e) The Committee would examine and recommend regarding sale of books and publications depending on the regional and territorial requirements as also sale of literature for permitting themes of national integration, social justice, communal harmony, rural development etc. The Committee would also examine the kind of music to be played in trains at railway stations as also the messages given through the visual media like Closed Circuit Televisions (CCTVs) at stations etc.

6. The tenure of the Committee will be for a period of two years or till further orders, whichever is ealier.

7. The Tourism and Catering Directorate will be the nodal Directorate interacting with the Committee and processing its various recommendations for

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K.B.L. MITTAL
Secretary, Railway Board

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2009
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2009